वित्त मंत्री

सिफारिश की है, उस से बढ़ा कर दामों की घोषणा आप करेंगे, तो यह किसानों के हक में होगा और किसान इस का लाभ उठा सकेंगे।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह उत्पादकता का वर्ष है, तो इस में और तात्परता से काम होना चाहिए और जो बहुत से कामों में ढील हो रही है, वह ढील नहीं होनी चाहिए। मैंने एक प्रश्न गन्ने के बारे में किया था कि इस साल जो गन्ने की बहुत ज्यादा उपज हुई है और 1700 और 1800 लाख टन के बीच में उपज हुई है, तो उसका बहुत थोड़ा हिस्सा ही मिलों में जाता है। इस का उत्तर मंत्री जी ने यह दिया था कि मिलें सब गन्ने की पिराई नहीं कर सकती और ऐसा इन्तिजाम करना संभव नहीं है। मेरा इस सम्बन्ध में कहना यह है कि जब एकदम गन्ने की पैदावार बढ़ जाती है, तो किसान को मजबूर हो कर कम दाम पर उस को बेचना पड़ता है। जब सरकार चाहती है कि उपज बढ़े, तो सरकार को पहले से ही इस का कुछ इन्तजाम करना चाहिए कि अगर ज्यादा उपज हो, तो उस का ठीक से इस्तेमाल किया जा सके और किसान इस के लिए परेशान न हों। जब उपज ज्यादा होती है और किसान को ठीक दाम नहीं मिलता, तो उस का उत्साह खत्म हो जाता है और वह परेशानी में पड़ जाता है और फिर उसे उपज कम करने की तरफ जाना पड़ता है जैसे 1979–80 में उपज बहुत कम हो गई थी और इसका कारण यही था कि किसान को उसके गन्ने का ठीक दाम नहीं मिला। यहां तक हुआ कि जो दाम मुकर्रर किया गया था, उस पर भी मिलों ने गन्ने को नहीं लिया। इस से उस का मनोबल टूट गया और फिर उस ने उपज कम कर दी। इसलिए जब उपज ज्यादा होती है और उस का ठीक उपयोग नहीं होता और किसान को उस का लाभ नहीं मिलता, तो फिर उस के लिए परेशानी हो जाती है और वह निरुत्साहित हो जाता है। इसी सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जिले में अखबरपुर क्षेत्र में एक गन्ने की मिल सहकारिता सेक्टर में खोलने का लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था लेकिन जब जनता सरकार आई, तो उस जमाने में उस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। 15–16 लाख रुपया किसानों का हिस्से के रूप में जमा है और हम लोगों ने इस बात की काफी कोशिश की कि उस मिल का लाइसेंस मंजूर हो जाए। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और हमारा फैजाबाद जिला जो है, यह उत्तर प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Verma, you please continue tomorrow.

18.29 hrs.

STATEMENT RE : PROCUREMENT PRICE FOR 1981-82 WHEAT CROP

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIDENDRA SINGH): Before the House adjourns, I would like to make a statement. Several hon. Members including the last speaker, Shri Jaya Ram Varma, have been demanding today that the Government should announce soon its decision on procurement price of wheat. Now I am in a position to announce the decision of the Government in this regard.

The procurement price for 1981-82 wheat crop has been fixed at Rs. 142/- per quintal. This price fixed by the Government of India would be applicable also to all the State Governments and the State procurement agencies.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18.30 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 16, 1982/ **Chaitra** 26, 1904 (**Saka**)

GMGIPND L-548 LS—90